न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर, जिला–उधम सिंह नगर।

राज्य प्रति अज्ञात

रिलीज प्रार्थना–पत्र संख्या– 251/2022

आदेश

दिनॉक 07.10.2022

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वाहन स्वामी **विकास पुत्र बलवीर सिंह** की ओर से वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या– यू.के.18.एन–9982 को अपने हक में रिलीज किये जाने बावत पेश किया गया है।

प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि वह उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन के थाने में खडा होने से उसमें मैकेनिकल खराबी आने की संभावना है। अतः उक्त वाहन को अपने हक में रिलीज कराये जाने की प्रार्थना की गयी।

थाना–आई.टी.आई. की आख्या के अनुसार उक्त वाहन थाना हाजा के मु.क्र. सं.–1968/2022, अंतर्गत धारा 3/181/129/194डी/185/207 मोटर वाहन अधिनियम में दिनॉक 30.09.2022 को एस.आई. जसवंत सिंह द्वारा सीज किया गया है। वाहन वर्तमान समय में थाना परिसर में खड़ा किया है।

प्रार्थी द्वारा वाहन की आर.सी., बीमा की प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी द्वारा द्वारा स्वयं की पहचान के संबंध में आधार कार्ड की फोटोप्रति दाखिल की गयी है। प्रार्थी की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता श्री अब्बास अली एडवोकेट द्वारा की गयी है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया ।

उपलब्ध प्रपत्रों व **माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा किमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नं–1506 /2019, आनन्दी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य में पारित आदेश दिनॉक 20.08.2019** के आलोक में उक्त वाहन सम्बन्धित थानाध्यक्ष प्रश्नगत वाहन यदि किसी अन्य मामले में वॉछित न हो तो प्रार्थी उपरोक्त को **रूपए 50,000/– (पचास हजार रूपये)** के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के एक विश्वसनीय प्रतिभू पेश करने पर निम्नवत शर्तों पर दिया जाता है–

1. प्रार्थी दौराने मुकदमा उक्त वाहन को खुर्द–बुर्द व उसमें कोई सारवान परिवर्तन नहीं करेगा।
2. प्रार्थी उक्त वाहन को न्यायालय द्वारा जब कभी तलब कराये जाने का आदेश दिया जायेगा, तब प्रार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर बताये गये समय व स्थान पर पेश करेगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन किये जाने पर प्रार्थिनी उपरोक्त की पहचान सुनिश्चित कर उसके पक्ष में नियमानुसार रिलीज करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश मात्र धारा–207 एम.वी.एक्ट में वाहन निर्मुक्ति के सम्बन्ध में प्रभावी होगा, अन्य के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होगा।

यह आदेश केवल वाहन सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु है। इस आदेश का प्रभाव वाहन स्वामित्व के सम्बन्ध में नहीं है।

(रमेश चन्द्र)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर
जिला ऊधम सिंह नगर